भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †4118

उत्तर देने की तारीख- 19/12/2024

पीवीटीजी के लिए निधि का आवंटन

†4118. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान आज तक विशेषत: कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के बच्चों की स्कूली शिक्षा के लिए आवंटित निधि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान पीवीटीजी के उन छात्रों का वर्षवार ब्यौरा क्या है जिन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी किए बिना ही बीच में पढ़ाई छोड़ दी है;

(ग) क्या सरकार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) में पीवीटीजी के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण लागू कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने छात्रों द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ देने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (घ): विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास के लिए 2019-20 से 2023-24 के दौरान पूर्ववर्ती संरक्षण-सह-विकास (सीसीडी) योजना के तहत जारी निधियां निम्नानुसार हैं।

वर्ष	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
जारी की गई निधियां (लाख रुपए में)	24999.00	14000.00	16000.00	13717.93	0.00

पीवीटीजी के विकास के लिए सीसीडी योजना के तहत शैक्षिक गतिविधियों के लिए 2019-20 से 2023-24 के दौरान विशेष रूप से आवंटित निधियां निम्नानुसार हैं।

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
अनुमोदित निधियां (लाख रुपए में)	5985.03	5938.52	7581.90	1235.00	0.00

2. नवंबर 2023 से, 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य 3 वर्षों में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुँच, सड़क और दूरसंचार संपर्क, अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को 9-लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों के माध्यम से पूरा करने की योजना है। शिक्षा तक पहुँच में सुधार के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पीएम जनमन के तहत पीवीटीजी के लिए 476.16 करोड़ रुपये की राशि की लागत से 194 छात्रावासों को मंजूरी दी गई है।

3. जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की योजना के प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) की स्थापना की गई है। एनईएसटीएस द्वारा जारी प्रवेश दिशानिर्देशों के अनुसार, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) में पीवीटीजी के लिए 5% सीटें आरक्षित हैं। एनईएसटीएस द्वारा जारी की गई निधियों में ईएमआरएस के निर्माण और पीवीटीजी सहित स्कूलों के संचालन के लिए आवर्ती लागत के लिए निधियां शामिल हैं। हालांकि, पीवीटीजी छात्रों के लिए कोई अलग से लेखा-जोखा नहीं रखा जाता है। पिछले 3 वर्षों के लिए पीवीटीजी ड्रॉपआउट का आगे का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	वर्ष	पढ़ाई छोड़ चुके पीवीटीजी छात्रों की संख्या
1.	2021-22	10
2.	2022-23	14
3.	2023-24	18

4. जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों को आश्रम और अन्य आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में शिक्षा की गुणवत्ता पर अध्ययन सहित, छात्रों के बीच पढ़ाई छोड़ने की समस्या, शिक्षक, बुनियादी ढांचे और टीआरआई की योजना के तहत अन्य सुविधाओं पर अध्ययन करने के लिए अनुदान देता है । इनमें से कुछ अध्ययन **अनुलग्नक-**1 में दिए गए हैं। रिपोर्ट के लिए मंत्रालय द्वारा विकसित पोर्टल (repository.tribal.gov.in) पर जाया जा सकता है। मंत्रालय ने लगभग 300 ऐसे स्कूलों और छात्रावासों के बुनियादी ढांचे के अंतरों (गैप्स) और निधि की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए हाल ही में मूल्यांकन के लिए एनएबीईटी/भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) को एक अध्ययन भी दिया है। बुनियादी ढांचे के अंतरों (गैप्स), शिक्षकों की कमी, कमाई के लिए काम करने का दबाव, शिक्षा की गुणवत्ता, ड्रॉप आउट (पढ़ाई छोड़ने) के कुछ कारण हैं। इन अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर, पीएम जनमन के तहत, पीवीटीजी के लिए विशेष रूप से 500 छात्रावास और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 1000 छात्रावास स्थापित करने का प्रावधान है।

धरती आबा के तहत, मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों और पीवीटीजी के लिए आश्रम स्कूलों, छात्रावासों और अन्य आवासीय स्कूलों के उन्नयन के लिए लगभग 7500 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। उठाए जा रहे अन्य कदम इस प्रकार हैं।

i. जहाँ तक संभव हो, भूमि की उपलब्धता के अधीन जनजातीय बस्तियों के आसपास ईएमआरएस और आवासीय विद्यालयों का निर्माण।

ii. राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति में पीवीटीजी के लिए अलग से आरक्षित सीटों सहित जनजातियों के लिए 5 छात्रवृत्ति योजनाएँ हैं।

iii. शिविरों और आउटरीच कार्यक्रमों में भागीदारी के माध्यम से स्कूलों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर जनजातीय आबादी को ईएमआरएस (एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय) में दाखिला लेने के लिए प्रेरित करना।

iv. छात्रों को कौशल हासिल करने में सक्षम बनाने के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करना जो नौकरी के क्षेत्र में उनकी नौकरी की स्थिरता में सहायता करेगा।

v. छात्रों को मौजूदा अवसरों के बारे में जागरूक करने के लिए कैरियर परामर्श हेतु आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करना, जो छात्रों को विभिन्न कैरियर पथों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने, उद्योग की आवश्यकताओं को समझने और अपने चुने हुए क्षेत्रों में सफलता के लिए आवश्यक कौशल हासिल करने में सक्षम बनाता है।

vi. मंत्रालय औपचारिक शिक्षा के बाद छात्रों को सहायता देने के लिए उनके कौशल संवर्धन पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसमें उन्हें उच्च अध्ययन करने को सुविधाजनक बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में जागरूक करना शामिल है।

vii. शैक्षिक परिणामों को बेहतर बनाने और ड्रॉप-आउट दरों को कम करने के लिए समयबद्ध तरीके से नए बुनियादी ढांचे के निर्माण और उच्च गुणवत्ता वाले मानव संसाधनों की भर्ती पर ध्यान केंद्रित करना। परिणामस्वरूप, ईएमआरएस में जनजातीय छात्रों के बीच ड्रॉप-आउट दर न्यूनतम बनी हुई है।

श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि द्वारा उठाए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न †4118 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक:

वर्ष	अध्ययन का विषय
1991	महाराष्ट्र में वर्तमान पोस्ट बेसिक (माध्यमिक) आश्रम स्कूलों का तालुका-वार बैकलॉग
जुलाई-1986	महाराष्ट्र में आश्रम स्कूल की व्यवस्थित योजना
मार्च-2020	आश्रम स्कूल नामांकन का सर्वेक्षण
अप्रैल-1994	सरकारी आश्रम विद्यालयों में प्रवेश परिणामों में कमी और छात्रों के स्कूल छोड़ने के संबंध में सुझाव
मार्च-1989	महाराष्ट्र राज्य में स्वैच्छिक संगठन द्वारा संचालित सहायता प्राप्त आश्रम विद्यालयों के कामकाज का अध्ययन
अक्टूबर-2002	सहायता प्राप्त आश्रम विद्यालयों पर राजनेताओं का नियंत्रण
मई-1990	महाराष्ट्र में आश्रम विद्यालयों की योजना और उसका बैकलॉग
मार्च-1989	गुजरात की अनुसूचित जनजातियों के उत्तरी प्राथमिक आश्रम स्कूल - एक मूल्यांकन अध्ययन
जुलाई-2022	जनजातीय आश्रम विद्यालय योजना की निगरानी एवं मूल्यांकन (गुजरात के विशेष संदर्भ में)
जुलाई-2019	ओडिशा में आश्रम विद्यालयों का मूल्यांकन
अक्टूबर-2017	त्रिपुरा के आदिवासी छात्रों के लिए शैक्षिक योजनाएँ - आश्रम स्कूल
मार्च-2009	आश्रम स्कूल मूल्यांकन 2008-09
नवंबर-2021	महाराष्ट्र में पोस्ट बेसिक आश्रम स्कूलों से जुड़े व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों संबंधी एक मूल्यांकन रिपोर्ट
जून-2008	महाराष्ट्र के सरकारी आश्रम विद्यालयों में स्थापित कृषि प्रयोग केन्द्रों संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट
मार्च-1995	शैक्षिक-चिकित्सा एवं अन्य सतर्कता अधिकारियों के सरकारी आश्रम स्कूल के दौरे की मूल्यांकन रिपोर्ट
दिसंबर-1994	आदिवासियों के लिए सरकारी आश्रम विद्यालयों की मूल्यांकन रिपोर्ट
सितंबर-2012	आदिवासी आश्रम विद्यालयों को जलापूर्ति योजना का मूल्यांकन
मई-1995	सरकारी आश्रम स्कूलों में सुविधाओं का मूल्यांकन
सितंबर-1995	आंध्र प्रदेश के चेंचू और सुगाली (लम्बाडी) के बीच आदिवासी आश्रम स्कूलों पर एक तुलनात्मक अध्ययन
अगस्त-1996	जिला परिषद विद्यालयों और सरकारी आश्रम विद्यालयों की शैक्षिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन

*****